सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल–462004

भोपाल, दिनांक २३ अगस्त, 2011.

क्रमांक ९५ 2-30/2011/26·2
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश.
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश

विषय :– दिनांक 1 अक्टूबर 2011 को "अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को "हेल्थ केयर फार सीनियर सिटिजन" के रूप में मनाना।

—0—

संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प दिसम्बर 1990 के अनुसार प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसे "हेल्थ केयर फार सीनियर सीटिजन" के रूप में मनाया जाये। तदनुसार निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

(1) दिनांक 1 अक्टूबर को विकास खण्ड स्तर पर, उन नगरीय मुख्यालयों पर जहाँ विकास खण्ड नहीं हैं परन्तु प्राथमिक हेल्थ सेन्टर हैं वहाँ पर एवं जिला स्तर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाये।

(2) उस दिन उक्त तीनों स्तरों पर वृद्धों के हेल्थ चेकअप करने, उनको दवाई उपलब्ध कराने तथा उन्हें आगे जैसे भी ईलाज की आवश्यकता हो वैसे रेफर करने हेतु हेल्थ केम्प आयोजित किये जाये।

(3) जिला स्तर के हेल्थ केम्प का प्रभारी सी.ई.ओ. जिला पंचायत या अपर कलेक्टर को रखा जावे, ब्लाक एवं नगरीय स्तर पर जहाँ एस.डी.एम. मुख्यालय हैं वहाँ एस.डी.एम., अन्य स्थानों पर सी.ई.ओ. जनपद पंचायत/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय नोडल आफिसर होंगे।

(4) उक्त हेल्थ केम्प में जिला/जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के अतिरिक्त नेहरू युवा केन्द्र, समस्त वृद्धाश्रम/डे–केयर सेन्टर चलाने वाली संस्थाओं, राष्ट्रीय सेवा योजना(एन.एस.एस.) को भी इसमें भागीदार बनाया जाये। जिला स्तर पर यदि अन्य कोई संस्था हो जिसे आप उपयोगी समझते हो तब इसमें उनका सहयोग प्राप्त करें।

(5) जो जिले हेल्पलाईन योजना चला रहे है या हेल्पलाईन शुरू करना चाहते हैं वे उसके पूर्व हेल्पलाईन की कार्ययोजना बना लें तथा उस दिन से हेल्पलाईन प्रारम्भ कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कार्ययोजना का माडल आयुक्त सामाजिक न्याय द्वारा पृथक से भेजा जायेगा।

(6) इस अवसर पर जो वृद्ध निःशक्त हैं उनके लिये स्पर्श अभियान में आप विशेष सहायता दे सकते हैं।

st/dic/let

(7) जो वृद्ध 80 वर्ष से ऊपर हो गये हैं एवं जो बी.पी.एल. हैं उन्हें भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 500/- रूपये प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है यह पेंशन प्रदाय उस दिन से प्रारम्भ हो जाये यह सुनिश्चित करें।

(8) यदि आप पाते हैं कि कुछ ऐसे वृद्ध हैं जो बी.पी.एल. नहीं हैं परन्तु गरीब एवं निराश्रित हैं तथा जिन्हें निराश्रित पेंशन की आवश्यकता है तब राज्य निराश्रित निधि से उनके लिये पेंशन प्रकरण बनाकर स्वीकृत किये जायें।

(9) हेल्थ केम्प में यदि ऐसे गरीब वृद्ध पाते हैं जिनका ईलाज विशेषज्ञों से बाहर कराना आवश्यक है तब उन्हें सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन की अनुशंसा पर अन्य स्थानों पर भेजने हेतु चयन कर सकते हैं तथा आगे उनका ईलाज करा सकते हैं।

(10) उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि आप कोई अन्य गतिविधियां करना चाहे तब कर सकते हैं जिसकी सूचना आयुक्त सामाजिक न्याय को दी जा सकती है।

(11) इन कार्यक्रमों की सूचना जिले के प्रभारी मंत्रीजी, माननीय सांसद/विधायक/ जिला/जनपद अध्यक्ष, मेयर/अध्यक्ष नगरीय निकाय एवं अन्य जनप्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ नागरिक संघों/संगठनों को भी दी जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से संलग्न प्रपत्र में जानकारी बनाकर 10 अक्टूबर तक आयुक्त सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश भोपाल को भेजना सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

पृ0क्र0 एफ 2-30/2011/26-2 — भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 2011

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय विभाग,
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, मध्यप्रदेश

---

1. आयुक्त, पंचायत राज/सामाजिक न्याय/ नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0 भोपाल की ओर उनके विभागीय निर्देश जारी करने एवं समुचित कार्यवाही हेतु।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मानिटरिंग हेतु।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

st/dic/lct

1 अक्टूबर 2011 को वरिष्ठ जनों को स्वास्थ्य लाभ हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधा का प्रपत्र

जिला–........................

क्रमांक	वृद्धजनों हेतु आयोजित किये गये शिविरों की संख्या	शिविर में कितने वृद्धों ने भाग लिया	शिविर में कितने वृद्धजनों का मेडिकल परीक्षण किया					कितने वृद्ध विशेषज्ञों को रेफर हुये	विशेषज्ञों द्वारा इलाज की संख्या	जराचिकित्सा के तहत खोले गये विशेष अस्पतालों / वार्डो की संख्या		वृद्धो के कल्याण हेतु योगात्मक आध्यामिक कार्यकमों की संख्या	जिले में वृद्धाश्रमों की संख्या	वृद्धाश्रमों में वृद्धों की संख्या
			बीपीएल	वृद्धाश्रम से	पेंशनर	स्वास्थ्य बीमा वाले वृद्धजन	अन्य			अस्पताल	वार्ड			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15